मझौली में घटिया निर्माण का खेल सीसी सड़क-नाली कार्य में भ्रष्टाचार

मझौली। नगर परिषद मझौली में विकास कार्यों के नाम पर घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। सीसी सड़क हो या नाली निर्माण, हर जगह निर्माण मानकों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि गुणवत्ता के बजाय ठेकेदारों और नगर परिषद के जिम्मेदारों की मिलीभगत के आधार पर काम कराया जा रहा है, जिससे सरकारी धन की खुली बर्बादी हो रही है। ताजा मामला वार्ड नंबर 7 का है, जहां कुछ दिन पहले कराए गए नाली निर्माण में गंभीर खामियां उजागर हुई हैं।

नाली में कमजोर व घटिया सामग्री, अधूरा प्लास्टर, तय मानकों से कम गहराई और उचित ढलान का अभाव साफ दिखाई दे रहा है। वार्डवासियों का कहना है कि निर्माण कार्य पूरा हुए कुछ ही दिनों में नाली में दरारें दिखने लगी हैं और पहली बारिश में इसके पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने की आशंका है। इस मामले को लेकर वार्ड नंबर 7 के वार्डवासी शिव कुमार , सहित अन्य नागरिकों ने सामूहिक रूप से नाराजगी जताई है। शिव कुमार कोरी का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान कई बार नगर परिषद के कर्मचारियों और संबंधित इंजीनियरों को खामियों से अवगत कराया गया, लेकिन शिकायतों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। वार्डवासियों का आरोप है कि जल्दबाजी में काम को पूरा दिखाकर भुगतान निकालने की तैयारी की गई। वार्डवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि नगर परिषद ने समय रहते कार्रवाई नहीं की, तो वे लिखित शिकायत, धरना-प्रदर्शन और उच्च अधिकारियों तक शिकायत दर्ज कराने को मजबूर होंगे। नागरिकों की मांग है कि वार्ड नंबर 7 में कराए गए नाली और सीसी सड़क निर्माण की स्वतंत्र तकनीकी जांच गुणवत्ता परीक्षण और पुन: माप कराई जाए। जब करोड़ों रुपये का बजट विकास कार्यों पर खर्च किया जा रहा है, तो उसकी गुणवत्ता और जवाबदेही तय क्यों नहीं है? वार्डवासियों ने जिला प्रशासन और नगरीय निकाय विभाग से मांग की है कि दोषी ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाए और जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, ताकि नगर परिषद मझौली में चल रहे घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लग सके।

गढ़ा का केंद्रीय विद्यालय सूरतलाई में शिफ्ट करने की मांग

सीनियर्स ने कलेक्टर से सरकारी जमीन उपलब्ध कराने का किया आग्रह

नवभारत,जबलपुर। शहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित गांव सूरतलाई में गढ़ा के केंद्रीय विद्यालय को स्थानांतरित करने की मांग क्षेत्र के सीनियर्स ने उठाई है। राजेन्द्र तिवारी, प्रकाश कुररिया, पीपी नेमा, अमर कुमार श्रीवास्तव, उमेश अग्निहोत्री, ओपी सोनी, बिरजू कुशवाहा और महेंद्र उपाध्याय ने कलेक्टर से अनुरोध किया है कि पनागर तहसील के आसपास सरकारी जमीन का चयन कर विद्यालय को नई इमारत उपलब्ध कराई जाए। सीनियर्स ने कहा कि यह कदम क्षेत्र के विकास के रास्ते खोलेगा और अविकसित क्षेत्रों के विकास को गति देगा। उच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया है कि कलेक्टर केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन तलाशें, ताकि गढ़ा में संचालित विद्यालय की अपनी इमारत हो सके।

ESAF
ESAF SMALL FINANCE BANK
Regd Office: ESAF Bhavan
Mannuthy, Thrissur - 680 651, Kerala

कब्जे का नोटिस (नियम 8(1))

चूंकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का अधिकृत अधिकारी, जिसे सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के तहत नियुक्त किया गया है और उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिसे सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ा जाए, ने संबंधित उधारकर्ता/गिरवी रखने वाले/गारंटर में से प्रत्येक के सामने बताई गई तारीख पर धारा 13(2) के तहत एक मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें उक्त नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर प्रत्येक खाते के सामने बताई गई राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था.

उधारकर्ताओं/गिरवी रखने वालों/गारंटरों द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, इसके द्वारा उधारकर्ताओं/गिरवी रखने वालों/गारंटरों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत मुझे दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिसे उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ा जाए, प्रत्येक खाते में बताई गई तारीखों पर नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है. विशेष रूप से उधारकर्ताओं/गिरवी रखने वालों/गारंटरों और आम जनता को इसके द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति/संपत्तियों के साथ कोई लेन-देन न करें और संपत्ति/संपत्तियों के साथ कोई भी लेन-देन ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा. उधारकर्ताओं/गिरवी रखने वालों/गारंटरों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में बताया गया है।

क्र.सं. 1 लोन खाता संख्या और शाखा : 71230000003435- डिंडोरी

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) का नाम और पता:-
(1) पीयूष शर्मा पुत्र पुष्पकांत शर्मा, वार्ड नंबर 6, डिंडोरी, मारियाना आइलैंड्स, मध्य प्रदेश-481880.
(2) ऐश्वर्या शर्मा पुत्री पुष्पकांत शर्मा, मकान नंबर 57, वार्ड नंबर 6, डिंडोरी, मारियाना आइलैंड्स, मध्य प्रदेश-481880.

डिमांड नोटिस की तारीख: 20.06.2025 **कब्जा लेने की तारीख:** 13.01.2026

बकाया राशि: (14-06-2025 तक) रु. 6,18,528.70/- (रु. छह लाख अट्ठारह हज़ार पाँच सौ अट्ठाइस और सत्तर पैसे मात्र) और जमा हुआ ब्याज, भविष्य का ब्याज और अन्य शुल्क.

सुरक्षित संपत्ति/अचल संपत्ति का विवरण: ज़मीन और संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा जिसका माप 0.020 हेक्टेयर है, यानी 40x46=1840 वर्ग फुट/171 वर्ग मीटर, जिसमें बनी हुई और/या बनने वाली इमारत सहित सभी सुधार शामिल हैं, जो देवरिया माल गाँव, पटवारी हल्का नंबर 44, रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल, डिंडोरी तहसील, डिंडोरी जिला में स्थित है, जैसा कि उप-रजिस्ट्रार कार्यालय, डिंडोरी द्वारा पीयूष शर्मा के नाम पर जारी सेल डीड नंबर MP128772022A1608367 के अनुसार है. सीमाएँ: उत्तर में- डॉ. नन्हे सिंह की ज़मीन, दक्षिण में- प्रस्तावित रास्ता, पूर्व में- बबीता गावले का घर, पश्चिम में- कमलेश तिवारी की ज़मीन.

तारीख: 14.01.2026 **अधिकृत अधिकारी**
स्थान: डिंडोरी **ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

आम सूचना

सर्वसाधारण एवं आम जनता को अपनी पक्षकार श्रीमती एकता साहू पति श्री कृष्ण कुमार साहू, निवासी- शताब्दीपुरम फेस टू स्टार पार्क चौक, विवेकानंद वार्ड, उखरी विजय नगर, जिला जबलपुर (म.प्र.) की ओर से अवगत कराता हूँ कि मेरी पक्षकार मौजा कांकरखेड़ा, तहसील पाटन जिला जबलपुर स्थित खसरा नंबर 5, 7 व 10, रकवा क्रमशः 0.25, 0.30 व 0.91, कुल रकवा 1.460 हे. भूमि की विधिसम्मत् स्वामी है एवं राजस्व अभिलेखों में उसका नाम पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 02.11.2025 के आधार पर सम्यक रीति से नामांतरण कार्यवाही उपरांत राजस्व अभिलेखों में बतौर स्वत्वधारी दर्ज है। भूमि के पूर्व भूमिस्वामी श्रीराम साहू पिता लक्ष्मी प्रसाद साहू, निवासी- ग्राम सागोनी, जिला नरसिंहपुर द्वारा विक्रय पत्र निष्पादन के उपरांत मेरी पक्षकार को भौतिक कब्जा उचित रूप से न सौंपकर धोखाधड़ी की गयी। मेरी पक्षकार द्वारा भूमि पर आधिपत्य व बाउण्ड्रीवॉल के निर्माण का प्रयास किये जाने पर अन्य व्यक्तियों द्वारा आपत्ति ली जा रही है। परिणाम स्वरूप मेरी पक्षकार सक्षम अधिकारिता धारित न्यायालय में विद्यमान विधिक प्रावधानों के अधीन वाद/ परिवाद, दीवानी एवं दाण्डिक प्रकरण संस्थित करने विवश है। श्रीराम साहू द्वारा उक्त भूमि के संबंध में संव्यवहार कर अन्य तृतीय पक्ष अथवा अन्य के साथ भी गलत संव्यवहार किया जा सकता है। चूँकि मेरी पक्षकार उक्त भूमि की विधिवत स्वामिनी है तथा अन्य विधिक उपचार हेतु तत्पर है। अतः इस आम सूचना के माध्यम से सर्व आमजन सतर्क रहे, उक्त खसरा नंबरों की भूमि के संदर्भ में श्रीराम साहू से कोई संव्यवहार न करें, नहीं तो ऐसा संव्यवहार शून्य एवं अवैध होगा और मेरी पक्षकार पर बंधनकारी नहीं रहेगा। जबलपुर दिनांक 16.01.2026 भवदीय-

प्रवीण जैन एड.
कार्या.- मेनरोड, बाजार मोहल्ला, बरेला जबलपुर मो.- 9981010363

In The Court of Principal Judge, Family Court, District Court, Satna
Presiding Officer : श्रीमती नोरिन निगम
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)
(RCS HM/0000250/2025)

पुष्पेन्द्र चौधरी ....वादी
Vs
सविता चौधरी .....प्रतिवादी
Process Id-18/2026 **पेशी दिनांक :-19.02.2026**

प्रेषिती- 1.सविता चौधरी पुत्री श्री रामू चौधरी पता-ग्राम सिलुआ चौखड़ा बारहा रानी दुर्गावती समाधि रोड जबलपुर, थाना बरेला, पोस्ट पिडई, जिला जबलपुर (म.प्र.)

यह कि याचिकाकर्ता पुष्पेन्द्र चौधरी तनय श्री बाबूलाल चौधरी, पता-त्रिमुर्ती नर्सिंग होम के पीछे सतना, जिला सतना (म.प्र.) ने आपके विरूद्ध याचिका अंतर्गत धारा 9 हिन्दु विवाह अधिनियम के लिये वाद संस्थित किया है.आपको इस न्यायालय में सूचना प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/ हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिय गये हो और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सकें. आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें. आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा. साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें यह आज तारीख 14 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है.

न्यायालय की मुद्रा
Principal Judge
Family Court, Satna (M.P.)

कृपया ध्यान दें:- यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा

खेत में झुक गए विद्युत ट्रांसफार्मर को किया सीधा

नवभारत बेलखाडू। आशीर्वाद ढाबा बेलखाडू (झगरा) के सामने स्थित नहर किनारे के खेत में स्थित 25 एचपी का विद्युत ट्रांसफार्मर लंबे समय से झुकता जा रहा था। अब पूर्णत: गिरने की स्थिति में भी पहुंच चुका था। किसान भीकम साहू, धर्मेंद्र साहू, राकेश पटेल की जानकारी पर आज के अंक में नवभारत ने वर्षों से समस्या से पीड़ित किसान का मुद्दा प्रकाशित किया था। विद्युत मंडल कार्यालय बोरिया के लाइनमेन अजय चढ़ार, विनोद यादव, सनी आदि कर्मचारी दोपहर में किसान के खेत पहुंचे और वर्षों पुरानी समस्या का आंकलन कर झुके हुए ट्रांसफार्मर के गिरने का खतरा भांपते हुए उसको सीधा किया।

पनागर के हनुमान मंदिर में मकर संक्रांति की धूम

पनागर। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर पनागर के रेलवे लाइन स्थित श्री हनुमान मंदिर में धार्मिक और सांस्कृतिक उल्लास देखने को मिला। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा पारंपरिक हल्दी-कुमकुम कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं शामिल हुईं। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने एक-दूसरे को हल्दी-सिंदूर लगाकर अखंड सौभाग्य, सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर रहा, जहाँ आपसी प्रेम, सौहार्द और सामाजिक समरसता का सुंदर संदेश देखने को मिला।

बृजेंद्र पटेल का निधन

पनागर। ग्राम पंचायत गर्दा खमरिया निवासी श्री बृजेंद्र पटेल का 41 वर्ष की आयु में निधन हो गया आप अशोक कुमार,अनिल कुमार,रजनीश कुमार के भाई थे अंतिम संस्कार स्थानीय ग्राम के शमशान घाट पर किया गया ।

पश्चिम मध्य रेल

यॉन्त्रिक शाखा ओपन टेंडर
सिंगल पैकेट सिस्टम
टेन्डर नोटिस संख्या जबल. यॉन्त्रिक-टेन्डर-01-2026 **दिनांक 13/01/2026**

निम्नलिखित कार्य के लिये ई-निविदा भारत संघ के राष्ट्रपति के पक्ष में वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर (कोचिंग), मंडल रेल प्रबंधक (यॉन्त्रिक), पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर के द्वारा आमंत्रित की जाती है।, **निविदा सूचना क्रमांक**- JBP-M-Tender -01-2026 dated 13/01/2026, **कार्य का नाम लोकेशन सहित** – सिक लाइन कोचिंग डिपो, रीवा में सुविधाओं (प्लंबिंग और बढ़ईगीरी), बफर, स्क्रू कपलिंग की सफाई, वारंटी क्लेम के रूप में कंप्यूटर कार्य, सीएमएम फीडिंग, पत्र लेखन, सामग्री हैंडलिंग (गैर-सुरक्षा वस्तुएं) आदि के कार्यों के लिए मानवशक्ति का आउटसोर्सिंग।, **कार्य का अनुमानित मूल्य रुपये में**- रू.4584823.40/-, **बयाना राशी रूपये में**-रू.91700.00/-, **समापन अवधि**-365 **दिन, निविदा भरने की अंतिम तिथि एवं समय**- 04/02/2026 upto 11:00 Hrs., निविदा **खुलने की तिथि एवं समय**- 04/02/2026 upto 11:30 Hrs., उपरोक्त ई-निविदा की संपूर्ण जानकारी वेब साईट **"https://ireps.gov.in"** पर उपलब्ध है एवं इसकी पूरी जानकारी मंडल रेल प्रबंधक (यॉन्त्रिक) कार्यालय, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है। ई-निविदा के अलावा उपरोक्त कार्य के लिये कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

(हस्ता.)
कृते मंडल रेल प्रबंधक(यॉन्त्रिक)
पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर

स्वच्छ भारत अभियान
एक कदम स्वच्छता की ओर

कार्यालय नगर पालिक निगम जबलपुर (म.प्र.)

// निविदा आमंत्रण सूचना //

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptender.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य समयावधि एवं लागत (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	Pro- 759 2026_UAD_475860_1 Date-14/01/2026	पार्षद अनुशंसा- पं. भवानी प्रसाद तिवारी वार्ड में नये मोहल्ला क्षेत्र में केबल इलेक्ट्रानिक्स से रसीदगंज की ओर नाली निर्माण एवं अन्य आवश्यक कार्य।	02 माह ₹.8.48 लाख	₹.2000/- ₹. 8480/-	30/01/2026

नोटः- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन की वेबसाईट https://mptender.gov.in पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा। **कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम जबलपुर**

SMFG Grihashakti
Nayi Asha. Naya Vishwas.

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कं. लिमिटेड

कॉर्पोरेट ऑफ : 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इंसिप्रे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई-400051
रजि. ऑफिस : कॉमरजोन आईटी पार्क, टॉवर बी, प्रथम तल नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई-600116, टीएन

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री की 15 दिन की पूर्व सूचना. प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 (1) के प्रावधान के साथ पढ़ा जाए.

एतद् द्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणी(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे सूचीबद्ध अचल संपत्तियाँ ('सुरक्षित संपत्तियाँ'), जो सुरक्षित ऋणदाता के पास गिरवी/प्रभारित हैं, जिनका कब्ज़ा SMFG इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे SMHFC कहा जाएगा) ('सुरक्षित ऋणदाता') के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, नीचे उल्लिखित तिथि और समय पर 'जहाँ है जैसी है', 'जो है जैसी है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेची जाएंगी, ताकि नीचे उल्लिखित बकाया राशि और वसूली की तिथि तक उस पर ब्याज और अन्य व्यय वसूल किए जा सकें, जो SMHFC सुरक्षित ऋणदाता को नीचे उल्लिखित ऋणी(ओं) और गारंटर(ओं) से देय हैं.

क्र.	उधारकर्ता/गारंटर(ओं) का नाम तैन	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण	रिजर्व मूल्य (रु.) अर्नेस्ट मनी जमा (रु.)	ई नीलामी तिथि की तिथि	ईएमडी जमा तिथि
01	LAN नंबर : 604207210340244 1. मनीष सेन 2. पूनम सेन 3. शिव प्रतिष्ठान	वह पूरा मकान जिसका कॉर्पोरेशन नंबर 431 है, जो पुरानी खसरा नंबर 303 के हिस्से वाली ज़मीन पर बना है, नई खसरा नंबर 303/1, एरिया 25*20 = 500 वर्ग फुट बना हुआ ग्राउंड फ्लोर 375 वर्ग फुट. मौजा जबलपुर N B 264 P H नंबर 04, सिंघई कॉलोनी महात्मा गांधी वार्ड तहसील और जिला जबलपुर, म.प्र. 482001 में स्थित है. सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व- नाली, पश्चिम- सेन का मकान, उत्तर- 20 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिण- पाठक जी का मकान.	रुपए 12,30,000/- रुपए 1,23,000/-	02.02.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे	31.01.2026

बिक्री के नियम और शर्तें नीचे दी गई हैं और विवरण हमारी/सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक वेबसाइट पते (https://BidDeal.in और https://www.grihashakti.com/pdf/E-Auction.pdf) पर भी दिए गए हैं. **इच्छुक बोलीदाता विनय राठौर से उनके मोबाइल पर भी संपर्क कर सकते हैं- नंबर 9827121084, ई-मेल:** vinay.rathour@grihashakti.com **और श्री निलॉय डे मोबाइल नं. 8655619157 ई मेल-** Niloy.Dey@grihashakti.com.

स्थान : जबलपुर, मध्यप्रदेश **एसडी/-प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 13.1.2026 **एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कं. लिमिटेड**

कार्यालय नगर पालिक निगम जबलपुर (म.प्र.)

द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptender.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेंण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य समयावधि एवं लागत (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1	PRO- 758 2026_UAD_475791_1 Date- 14/01/2026	पार्षद अनुशंसा- सुभद्रा कुमारी चौहान वार्ड स्थित विभिन्न स्थानो में सीमेंटीकरण, अतुल बिहार पॅरिसर के सामने श्री अभिषेक केशरवानी के घर के सामने, श्री विनय जैन जी ट्रेक्टर गली श्रीमति इंदिरा पाठक जी घर के सामने तक सीमेंटीकरण कार्य बावत।	02 माह ₹.4.243 (लाख)	₹.2000/- ₹.4243/-	22/01/2026
2	PRO- 758 2026_UAD_475791_2 Date- 14/01/2026	पार्षद अनुशंसा-सुभद्रा कुमारी चौहान वार्ड स्थित विभिन्न स्थानो में पेवर ब्लाक लगाना, आस्था अपार्टमेंट के सामने, श्यामेश्वर महादेव मंदिर के सामने किडनी अस्पताल के बाजू से, शिवहरी अपार्टमेंट के बाहर, श्री गायकवाड जी के मकान के सामने एवं सूतिका गृह के सामने पेवर ब्लाक लगाना।	02 माह ₹.5.086 (लाख)	₹.2000/- ₹.5086/-	22/01/2026
3	PRO- 758 2026_UAD_475791_3 Date- 14/01/2026	पार्षद अनुशंसा-सुभद्रा कुमारी चौहान वार्ड स्थित विभिन्न स्थानो में सीमेंटीकरण कार्य एवं पेवर ब्लाक लगाना, (श्रीमान शैलेन्द्र ठाकुर के मकान के बाजू में, एम.एल.बी. स्कूल के पास आवास योजना के सामने तक)	02 माह ₹.5.897 (लाख)	₹.2000/- ₹.5897/-	22/01/2026
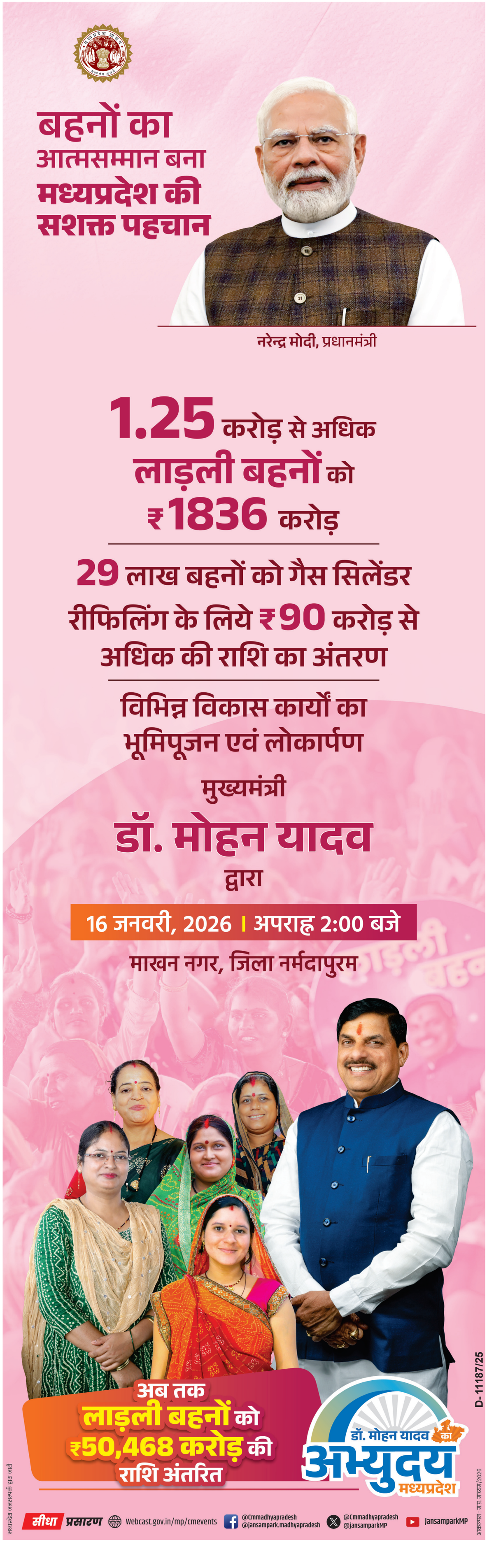
नोटः- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन की वेबसाइट https://mptender.gov.in में पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा। **कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम जबलपुर**